राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(114)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांकः– 3 जुलाई, 2012

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (iii) के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र के साथ इन नियमों में विहित प्रीमियम के 10 प्रतिशत की दर पर संगणित राशि जमा कराने की रसीद भी संलग्न करना आवश्यक है।

उक्त नियमों में प्रीमियम की दरों का निर्धारण प्रकियाधीन है। दिनांक 31.05.2012 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही उक्त नियम प्रभाव में आ चुके है लेकिन प्रीमियम दरों के निर्धारण के अभाव में अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। पूर्व में नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने के संबंध में रूपान्तरण/नियमन शुल्क के नाम से दरें प्रचलित रही है अतः अन्तरिम रूप से जब तक प्रीमियम दरे अधिसूचित नहीं कर दी जावे तब तक अब से पूर्व कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के संबंध में वसूली जा रही रूपान्तरण/नियमन शुल्क को ही Provisional Basis पर आधार मानकर उसकी 10 प्रतिशत राशि आवेदन पत्रों के साथ जमा करते हुये नियम 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे लेकिन अंतिम निर्णय से पूर्व प्रीमियम दरें, जो कि अधिसूचित की जायेगी, के आधार पर अन्तर राशि वसूल की जावे।

अतः सभी नगर निकाय एवं प्राधिकृत अधिकारी उक्त नियमों के नियम 4 के तहत आवेदन पत्रों को उपरोक्तानुसार स्वीकार करते हुये आगे की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करें।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः प.3(114)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक– 3 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. शासन उप सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त समस्त नगर निगमों/ नगर परिषदों/नगरपालिका मण्डलों, राजस्थान को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9. सचिव, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–द्वितीय